बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं०सं०:–40/सामग्री–01–13/2026 /पटना, दिनांक 02/07/2026

कार्यालय आदेश - 181

विश्वेश्वरैया भवन स्थित पथ निर्माण विभाग के विभिन्न तलों पर अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षात्मक सावधानियाँ बरतने के लिए Fire Response Plan तैयार किया गया है, जो निम्न प्रकार है:–

Fire Response Plan

सुरक्षात्मक सावधानियाँ

- **निकासी योजना (Evacution Plan):–** आपातकालीन स्थिति में निकासी योजना के तहत विभागों में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए विभागें के सभी तलों पर मैप प्रदर्शित किया गया है।

- **अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन:–** पर्याप्त मात्रा में विभिन्न टाईप के अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन कराया गया है। पथ निर्माण विभाग में विभिन्न प्रकार के अग्निशमन यंत्र अधिष्ठापित किया गया है। साथ ही अग्निशमन यंत्रों की Expiry Date एवं Refilling अनुश्रवण हेतु विश्वेश्वरैया भवन के कनीय अभियंता को जिम्मेवारी दी गई है।
- **अग्निशमन यंत्रों के संचालन:–** अग्निशमन यंत्रों के संचालन प्रक्रिया को विभागों के सभी तलों पर चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है एवं विभाग के कर्मियों को अग्निशमन यंत्रों के संचालन का प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जाता है।
- **आपातकालीन सम्पर्क:–** अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से भवनों में आपातकालीन सम्पर्क नम्बर विभाग के सभी तलों पर बड़े अक्षरों में लाल रंग से प्रदर्शित कर दिया गया है। विभाग के सभी तलों पर अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी तथा अग्निशनन यंत्र चलाने वाले कर्मचारी का मोबाईल नम्बर बड़े अक्षरों के साथ उचित स्थान पर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही अग्निशमन सेवा का दूरभाष सेवा का दूरभाष नम्बर भी प्रदर्शित किया गया है।
- **आपातकालीन द्वारा:–** अग्नि की घटना होने पर आकस्मिक निकास हेतु द्वार चिन्हित है एवं इसके मार्ग को बाधा मुक्त रखा गया है। साथ ही कोरिडार एवं रास्ते को बाधा मुक्त कर दिया गया है।

- **प्रशिक्षणः–** अग्नि की घटना को रोकने एवं अग्नि की स्थिति में अपेक्षित कार्रवाई हेतु कुल–35 कर्मियों को बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी, आनंदपुर, बिहटा में प्रशिक्षण प्राप्त करा दिया गया है (सूचि अनुलग्न के रूप में संलग्न)। जागरूकता एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से समय–समय पर विभाग में मॉक–ड्रिल का अयोजन किया जाता है।

- **विधुत उपकरणः–** विभाग के सभी तलों पर पंखा/लाईट/ए०सी० तथा अन्य विधुत संबंधित उपकरणों के बंद करने के लिए कुल–03 कर्मचारी को नामित किया गया है ताकि कार्यालय समाप्ति के बाद पूर्णरूपेण विधुत उपकरणों को बंद किया जाए।

- **वातानुकुलित यंत्र** :– विभाग के सभी तलों पर संचालित ए०सी० को समय–समय पर सर्विसिंग कराने की व्यवस्था की गयी है ताकि ए०सी० को आग लगने से बचाया जा सके।

- **विधुत सौकेटः–** विभाग के सभी तलों पर स्थित विधुत सौकेटों का प्रयोग करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए कि तय मानक के अनुरूप ही सौकेट का प्रयोग किया जाए। इसके प्रति कर्मियों के बीच जागरूकता पैदा की जा रही है।

- गरम एवं गीली सतह के विधुत तारों को दूर रखें।
- विधुत हेतु एक उपकरण के लिए एक सॉकेट का प्रयोग करें।

- **फ्लोरोसेंट स्ट्रीपः–** विभाग के सभी तलों पर निकास मार्ग में फ्लोरोसेंट स्ट्रीप लगा दिया गया है ताकि आग लगने की स्थिति में विधुत आपूर्ति बंद होने पर भी निकास मार्ग प्रदर्शित होता रहे।

- **क्या करें क्या ना करेंः–** विभाग के सभी तलों पर आग लगने की स्थिति में क्या करें/क्या ना करें का बोर्ड लगाया गया।

- **स्वाचालित यंत्रः–** विभाग के सभी तलों के कमरों/गलियारों में स्मोक डिटेक्टर/वाटर स्प्रिंकल/फायर अलार्म तथा अन्य अग्निशमन यंत्र अधिष्ठाापित है।

भवनों में आग लगने की स्थिति में क्या करें

- अग्निकांड़ के आपात स्थिति में कार्यालय को तुरंत छोड़ दें तथा तेजी से सावधानी पूर्वक बाहर निकलें। बाहर निकलते समय अपने पीछ स्थित सभी दरवाजे को बंद करते जायें, ताकि आग एवं धुँआ के फैलाव को रोका जा सके। सभी बाहर जा जाये तब मुख्य दरवाजे को बंद कर दें।
- आपातकालीन स्थिति में पदाधिकारी/कर्मचारी Evacution Plan मैप के अनुसार अपने नजदीक स्थित निकास द्वार का ही प्रयोग करें।
- आग लगने की स्थिति में संयम रखें तथा संयम पूर्वक ही निकास/आकस्मिक निकास द्वार से बाहर निकलें।
- आग लगने की स्थिति में सर्वप्रथम Quick Response Team (QRT) के एक सदस्य आग बुझाने का प्रयास करेंगे। QRT के दूसरे सदस्य भवन के लिए नामित अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी/जिला अग्निशमन पदाधिकारी कंट्रोल रूम को तत्क्षण सूचित करेंगे। तीसरे सदस्य उपस्थित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को बाहर निकालने में मदद करेंगे। निकास द्वार से बाहर निकलते समय शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) व्यक्तियों को प्राथमिकता दें। यदि QRT के सदस्यों को ऐसा आभास हो कि उनके द्वारा आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है तो QRT के सदस्य भी सुरक्षित बाहर निकल जायेंगे।
- आग लगने की आपातकालीन स्थिति में यदि आपके सामने धुँआ या आग की लपटें हो तो दूसरे मार्ग का उपयोग करें।
- यदि धुँए से बहार निकलना पड़े, तो नीचे लेटकर रेंगते हुए निकलें। आग और धुँआ उपर की ओर उठता है । फर्श से 1–2 फीट उपर की ओर उठता है। फर्श से 1–2 फुट तक स्वच्छ हवा मिल सकती है।
- दरवाजे को खोलने से पूर्व उसकी जाँच कर लें। घुटनों के बल चलें या झुककर चलें, उपर उठें। दरवाजे, नॉब और दरवाजे के बीच के स्थानों को हथेली की पीछे की ओर से छूकर देखें। दरवाजे गर्म हो, तो उसे नहीं खोलें। यदि दरवाजा ठंडा महसूस हो, तभी उसे सावधानीपूर्वक खोलें, और यदि धुँआ या गर्मी भीतर आने लगे तो तेजी से उसे बंद कर दें।
- एक बार आप बाहर निकल जाएँ, तो अग्निशमन विभाग को बतायें कि भवन के अंदर कोई व्यक्ति फँसा तो नहीं है। किसी भी कारण से तब तक भीतर नहीं पहुँचें, जब तक अग्निशमन विभाग के पदाधिकारी/कर्मी यह न कह दें कि अंदर प्रवेश करना सुरक्षित है।
- आग लगने की स्थिति में हमेशा भू–तल की ओर ही बचाव के लिए बाहर निकलें।
- आग लगने की स्थिति में किसी भी पदाधिकारी/कर्मचारी को अपने नजदीक स्थित अग्निशमन यंत्रों का उपयोग कर आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए।
- आग लगने की स्थिति में सीढ़ी का प्रयोग करें।

- सभी तलों पर कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय समाप्ति के बाद यह सुनिश्चित करना चाहिए की सभी विधुत उपकरण पूर्ण रूपेण बंद हो।
- आग लगने की आपातकालीन स्थिति में फोन नम्बर–101/112 पर तुरंत आग लगने की सूचना दें।
- आग से प्रभावित क्षेत्र की विधुत सप्लाई को ऑफ करें।
- आग लगने की स्थिति में सबसे पहले दिव्यांग व्यक्ति को बाहर निकालें एवं सुरक्षित स्थान पर ले जाएँ। प्रत्येक QRT में एक सदस्य यह जिम्मेदारी दी गई है।

भवनों में आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करें

- आग लगने की स्थिति में अनावश्यक रूप से भाग–दौड़ नहीं करें ताकि भगदड़ से बचा जा सके।
- बालकॉनी का प्रयोग नहीं करे। उसका प्रयोग तभी करें जब बाहर निकलने का वह अधिकृत मार्ग हो।
- आग लगने की स्थिति में लिफ्ट का प्रयोग कभी नहीं करें। चूँकि यह किसी भी तल पर या स्थान पर जहाँ आग लगी है रूक सकती है। सीधे उस सीढ़ी का ओर जाइए जहाँ धुँआ एवं आग की लपट नहीं हो।
- आग लगने की स्थिति में कभी भी अपने उपर के तलों पर अग्नि से बचाव के लिए नहीं जाएँ।
- सभी विभागों में नामित अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि विधुत उपकरणों के नजदीक ज्वलनशील वस्तु नहीं रखा हो।
- यदि आग तेल या बिजली के कारण लगी है तो पानी का उपयोग न करें।
- आग लगने के स्थिति में छिपने की कोशिश न करें। तुरन्त बाहर निकलने का प्रयास करें।

ह०/–
निदेशक (क्रय एवं परि०)
–सह–नोडल पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– **पटना, दिनांक–......................**

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सभी QRT सदस्य/अग्नि सुरक्षा पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
निदेशक (क्रय एवं परि०)
–सह–नोडल पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5527 (E) **पटना, दिनांक–** 02/07/2026

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01.07.26

निदेशक (क्रय एवं परि०)
–सह–नोडल पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।